

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जनवरी 2013—माघ 11, शक्र 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-01/2013/32.—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा भाड़े से संबंधित किन्हीं विवादों, शिकायतों या अपराधों के न्यायनिर्णयन अथवा विचारण हेतु तथा अभिघृति मुद्दे, जिसमें भवन स्वामियों तथा किरायेदारों के अधिकार, स्वत्व एवं दायित्व भी सम्मिलित है, के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ख के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ज) के अनुसार छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 07-01/2013/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन करने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-01-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 31st January 2013

NOTIFICATION

No. F 7-01/2013/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012), the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh Rent Control Tribunal in terms of sub-clause (h) of clause (2) of Article 323-B of the Constitution of India, to give effect to the provisions of the said Act and for the adjudication or trial of any disputes, complaints or offences with respect to rent, and for the regulation and control of tenancy issues including the right, title and obligation of landlords and tenants.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. BALJENDRA KUMAR, Principal Secretary.